संख्या–1795/33–3–2010–100(34)/2004टीसी

प्रेषक,

आर0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 29 जुलाई, 2010

विषय :– सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3095/33–3–2004–227/99 दिनांक 28–9–2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28–9–2004 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित, "राज्य स्तर पर स्वजल धारा कार्यक्रम हेतु गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की सर्वोच्च समिति एवं कार्यकारी समिति ही सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के समन्वय का भी कार्य करेगी" को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3– शासनादेश संख्या–3095/33–3–2004–227/99 दिनांक 28–9–2004 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(आर0 के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत उ0प्र0।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– उपसचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, नवाँ तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली।
7– मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) उ0प्र0।
9– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

C:\Documents and Settings\hcl\My Documents\B.Kush-1.doc